

27-6-16

पत्रावली के माध्यम से गांधीवादी
 पेश, तादीया के बकील व प्रतिवादी सह। उपरोक्त
 वादिका अपने पिता की भूमि में से हिररना
 चहली है। ग्राम पंचायत कांडा द्वारा नामान्त-
 करण संख्या 133 दिनांक 30.1.1988 को
 अर्पण किया गया। अतः ग्राम पंचायत द्वारा
 शिवाजी गंगा नामान्तकरण के अर्पण की जाकर
 अतः अर्पण के नाम पर शिवाजी गंगा के साथ
 हिररना नाम दर्ज कर।

अर्पण अर्पण के अर्पण के अर्पण
 ग्राम पंचायत कांडा द्वारा स.स 133 निर्णय
 दिनांक 30.1.1988 को अर्पण किया जाता है।
 प्रकरण लहरीनदार अर्पण का रिमांड किया
 जाकर निर्देशित किया जाता है कि समीपस्थ
 को सूच निर्देशित कर। लहरीनदार को
 निर्णय अर्पण की हवा प्रभावित पालना
 इतु भिजावे

गोपनीय
 24/4/16
 51/8
 31/8
 32
 37

W

आज यह निर्णीय बोर्ड केम्प कांदा
पर मेरे आम सुनाया गया।

पचावली केशलशुमार होकर
गम्बर में काम है।

(उम्मेद सिंह राजावत)

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

फैल सहायक कलेक्टर, भीलवाड़ा